न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री सक्षम गोयल आई.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
197 / 2022	दावा 88,92A RTA	09.11.2022	03.08.2023

श्र भगवानाराम प्रजापत पुत्र श्री धन्नाराम प्रजापत निवासी बिसाउ तहसील व जिला झुझुनू राज.

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान रसकार जरिये तहसीलदार चूरू
2. जगदीश पुत्र धन्नाराम जाति प्रजापत निवासी बिसाउ तहसील व जिला झुंझुनू
3. मदनलाल पुत्र धन्नाराम जाति प्रजापत निवासी बिसाउ तहसील व जिला झुंझुनू
4. सुगनी पुत्री धन्नाराम जाति प्रजापत निवासी बिसाउ तहसील व जिला झुंझुनू
5. पारवती देवी पत्नी जगदीश पुत्र धन्नाराम जाति प्रजापत निवासी बिसाउ तहसील व जिला झुंझुनू
6. ओम प्रकाश पुत्र जगदीश पुत्र धन्नाराम जाति प्रजापत निवासी बिसाउ तहसील व जिला झुंझुनू
7. अरविन्द प्रजापत पुत्र जगदीश पुत्र धन्नाराम जाति प्रजापत निवासी बिसाउ तहसील व जिला झुंझुनू
8. कृष्ण कुमार प्रजापत पुत्र जगदीश पुत्र धन्नाराम जाति प्रजापत निवासी बिसाउ तहसील व जिला झुंझुनू
9. सोनू पुत्री जगदीश पुत्र धन्नाराम जाति प्रजापत निवासी बिसाउ तहसील व जिला झुंझुनू
10. चन्दा कुमारी प्रजापत पुत्री जगदीश पुत्र धन्नाराम जाति प्रजापत निवासी बिसाउ तहसील व जिला झुंझुनू राज.

—प्रतिवादी—

दावा अन्तर्गत धारा 88,92ए आर.टी.ए.

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी वादी
2. अधिवक्ता श्री भरतसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण
3. पैरोकार राज उपस्थित ।

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि कृषि [illegible] वादी 3.7813 हैक्टेयर वाके रोही ढाढर तहसील व जिला चूरू में वादी व प्रतिवादी [illegible] 10 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है।

उक्त हिस्से की भूमि पर [illegible] 2 ता 10 का कब्जा [illegible] खातेदारी चली आ रही है जिसके प्रमाण स्वरूप जमाबंदी सम्वत [illegible] 2070—2073 की प्रमाणि[illegible]लिपि दावा हाजा के साथ प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2023.08.21 11:39:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उक्त कृषि भूमि वादी की पैतृक है। वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 के पिता व प्रतिवादी संख्या 05 ता 10 के दादा गुडाराम का सही व वास्तविक नाम धन्नाराम है जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र में धन्नाराम पुत्र नारायणराम नाम लिखा है जिनकी मृत्यु प्रमाण पत्र में धन्नाराम पुत्र नारायणराम नाम लिखा गया है और उनके पुत्रों के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी दस्तावेजात में उनका नाम गुडाराम गलत दर्ज हो गया। वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त कृषि भूमि गलत ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है जो आज तक गलत ही अंकित चला आ रहा है जिस कारण वादी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता इसलिए नाम को दुरूस्त करवाने के लिए यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादी के पिता गुडाराम उर्फ धन्नाराम के प्रतिवादी संख्या 2 से 4 पुत्र हैं व प्रतिवादी संख्या 5 से 10 जगदीश के वारिस हैं एवं खातेदारी इनके ही नाम दर्ज चली आ रही है। इसके अलावा वादी के पिता के अन्य कोई सनतान नहीं है ना ही गांव ढाढर में इस नाम का कोई व्यक्ति है बल्कि वादी का असली नाम भगवानाराम है। जो कि नगरपालिक चूरू के मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 17.12.1996 को जारी किया गया जिसमें वादी व उनके पिता का नाम सही अंकन है।

वादी व प्रतिवादीगण के पिता को प्यार से गुडाराम कहते थे जिस कारण उनका नाम अपने पिता के इन्तकाल में गुडाराम दर्ज हो गया जो आज तक चला आ रहा है जबकि उनका सही व वास्तविक नाम धन्नाराम एवम् उनकी पत्नी के सभी दस्तावेजात में धन्नाराम दर्ज है।

वादी के पिता के फौत होने के बाद वादी के परिवार में लाड प्यार से कहने के कारण वादी का नाम भागूराम दर्ज हो गया था जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम भागूराम के बजाय भगवानाराम प्रजापत दर्ज किया जावे।

वादी भगवानाराम प्रजापत पुत्र श्री धन्नाराम प्रजापत जाति प्रजापत निवासी बिसाउ तहसील व जिला झुंझुनू इनके नाम से राशकार्ड, आधार काड व पहचान पत्र आदि दस्तावेज बने हुए है।

वादी ने जब केसीसी बनाने हेतु बैंक में सम्पर्क किया तो पता चला कि उसका नाम खातेदारी में गलती से वादी का स्वयं का नाम भागूराम व पिता का नाम गुडाराम गलत दर्ज हो गया है जबकि वादी का वास्तविक नाम भगवानाराम प्रजापत है एवम् पिता का सही नाम धन्नाराम है जब प्रत्येक दस्तावेज में स्वयं का नाम भगवानाराम व पिता का नाम धन्नाराम जाति प्रजापत निवासी बिसाउ तहसील व जिला झूंझुनू है जिसे दुरूस्त कराने के लिए यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 को कहा व कहलवाया कि वादी व उसके पिता का नाम मूल दस्तावेज के अनुसार भगवानाराम पुत्र धन्नाराम जाति प्रजापत निवासी बिसाउ तहसील व जिला झुंझुनू राजस्व रिकॉर्ड में सही अंकन करवा देवें मगर प्रतिवादी संख्या 01 टाल–मटोल करते रहे व आखिरकार दिनांक 01.11.2022 को प्रतिवादी संख्या 01 ने ऐसा करने से साफ–साफ इन्कार कर दिया लिहाजा तारीख दिनांक 01.11.2022 से वादकारण तथा वाद–हेतुक वादी को भूमि मजकूर का खातेदार काश्तकार [illegible] से प्राप्त [illegible]।

निवास स्थान फेरिकेन व वादग्रस्त [illegible] भूमि [illegible] अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए अदालतवाला को [illegible] प्राप्त है तथा दावा मुकर्रर शुदा कोर्ट फीस पर हर प्रकार से [illegible] प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2023.08.21 11:39:52 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से दावा मय शपथ पत्र प्र[illegible] कर निवेदन है कि वादी का दावा स्वीकार फरमाया जाकर वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 604 तादादी 3.7813 हैक्टेयर वाके

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

रोही ढाढर तहसील व जिला चूरू में वादी व प्रतिवादी संख्या 02 से 04 के पिता का नाम गुडाराम के बजाय धन्नाराम एव्र प्रतिवादी संख्या 5 से 10 के दादा का नाम गुडाराम की बजाय धन्नाराम एवम् वादी भागूराम के स्थान पर भगवानाराम दर्ज फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम अंकन करने का आदेश प्रदान किया जावे।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 03 ता 10 की ओर से अधिवक्ता भरतसिंह ने वकालत नामा पेश किया तथा प्रतिवादीगण की ओर से सहमति पत्र पस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। रिपोर्ट प्राप्त हुई। अधिवक्ता वादी की ओर से प्रतिवादी संख्या 02 की फौत होने की सूचना प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया प्रतिवादी संख्या 02 के पिता की फौत हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 02 के वारिसान पहले से उक्त दावा में पक्षकार है जिस पर वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता सहमति के आधार पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 02 के पूर्व फौत अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिवक्ता उभय पक्ष ने निवेदन किया कि पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों को ही साक्ष्य माना जाकर बहस सुनी जावे। जिस पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर पावाली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

दावा में वादी की ओर से निवेदन किया गया हे रिकॉर्ड दुरूस्ती इस अमर की कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 604 तादादी 3.7813 हैक्टेयीर वाके रोही ढाढर तहसील व जिला चूरू में वादी व प्रतिवादी संख्या 02 से 4 के पिता नाम गुडाराम के बजाय धन्नाराम एवं प्रतिवादी संख्या 05 ता 10 के दादा का नाम गुडाराम के बजाय धन्नाराम एवं वादी भागूराम के स्थान पर भगवानाराम दुरूस्त किया जावे । दस्तावेजात् जमाबंदी सम्वत् 2070 –2073 रोही ग्राम ढाढर खसरा नम्बर 604 तादादी 3.7813 में कुनणी पत्नी महावीरप्रसाद, जगदीश पुत्र गुडाराम, धापी पत्नी गुडाराम , भागूराम पुत्र गुडाराम, मदनलाल पुत्र गुडाराम दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2062–2065 रोही ग्राम ढाढर खसरा नम्बर 604 में जगदीश, भागूराम, मदनलाल पि. गुडाराम दर्ज है । वादी संख्या 01 का नाम उसके आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में भगवानाराम पुत्र धन्नाराम है। प्रतिवादी संख्या 03 मदनलाल के आधार कार्ड में मदनलाल पुत्र धनाराम दर्ज है। धापीदेवी के मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में धापी देवी के पति का ना धन्नाराम है। रिपोर्ट तहसीलदार चूरू के अनुसार भगवानाराम व भागूराम एक ही व्यक्ति है व गुडाराम एवं धन्नाराम एक ही व्यक्ति है। उक्त वादगत कृषि भूमि के सहखातेदार कुनणी देवी व उसके पति ने भी अपने शपथ पत्र में गुडाराम के बजाय धान्नाराम व भागूराम के बजाय भगवानाराम किये जाने हेतु निवेदन किया है तथा कथन किया है कि इनका प्यार का घरेलू नाम गुडाराम व भागूराम होने की वजह से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 03 ने अपने शपथ पत्र में अंकित किया है कि वादी का नाम भागूराम व वादी व प्रतिवादी के पिता का उनके सभी वारिसान [illegible] जबकि इनका वास्तविक नाम क्रमशः भगवानाराम व धन्नाराम [illegible] 10 ने अपने सहमति पत्र में गुडाराम के बजाय धन्नाराम व भागुरा[illegible] की सहमति व्यक्त की है। उक्त विवेचन से स्पष्ट परिलक्षित [illegible] वास्तविक नाम भगवानाराम है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में भागुराम दर्ज है व प्रतिवादी संख्या [illegible] से 04 के पिता का नाम व प्रतिवादी संख्या 06

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2023.08.21 11:39:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

से 10 के दादा का वास्तविक नाम धन्नाराम है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में गुडाराम दर्ज है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

वादी की ओर प्रस्तुत दस्तावेजात् सहखातेदारों के सहमति पत्र व शपथ पत्र के रिपोर्ट तहसीलदार चूरू के आधार पर दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि रोही ग्राम ढाढर तहसील व जिला चूरू खसरा नम्बर 604 तादादी 3.7813 हैक्टेयर में दर्ज वादी का नाम भागूराम की बजाय भगवानाराम व वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 के पिता व प्रतिवादी संख्या 06 ता 10 के दादा का नाम गुडाराम की बजाय धन्नाराम किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

(सक्षम गोयल आई. ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2023.08.21 11:39:52 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D")
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : श्री सक्षम गोयल आई0ए0एस0

श्र भगवानाराम प्रजापत पुत्र श्री धन्नाराम प्रजापत निवासी बिसाउ तहसील व जिला झुंझुनू राज.

–वादी–

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान रसकार जरिये तहसीलदार चूरू
2. जगदीश पुत्र धन्नाराम जाति प्रजापत निवासी बिसाउ तहसील व जिला झुंझुनू
3. मदनलाल पुत्र धन्नाराम जाति प्रजापत निवासी बिसाउ तहसील व जिला झुंझुनू
4. सुगनी पुत्री धन्नाराम जाति प्रजापत निवासी बिसाउ तहसील व जिला झुंझुनू
5. पारवती देवी पत्नी जगदीश पुत्र धन्नाराम जाति प्रजापत निवासी बिसाउ तहसील व जिला झुंझुनू
6. ओम प्रकाश पुत्र जगदीश पुत्र धन्नाराम जाति प्रजापत निवासी बिसाउ तहसील व जिला झुंझुनू
7. अरविन्द प्रजापत पुत्र जगदीश पुत्र धन्नाराम जाति प्रजापत निवासी बिसाउ तहसील व जिला झुंझुनू
8. कृष्ण कुमार प्रजापत पुत्र जगदीश पुत्र धन्नाराम जाति प्रजापत निवासी बिसाउ तहसील व जिला झुंझुनू
9. सोनू पुत्री जगदीश पुत्र धन्नाराम जाति प्रजापत निवासी बिसाउ तहसील व जिला झुंझुनू
10. चन्दा कुमारी प्रजापत पुत्री जगदीश पुत्र धन्नाराम जाति प्रजापत निवासी बिसाउ तहसील व जिला झुंझुनू राज.

–प्रतिवादी–

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88, 92ए आर.टी.ए.</u>
मुकदमा नं. 197 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री शिवगौतम सोलंकी एडवोकेट वादी [illegible] रत सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02 ता 10 व पैरोकार राज प्रतिवादी [illegible] मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2023.08.21 11:39:52 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर प्रस्तुत दस्तावेजात् [illegible] खातेदारों के सहमति पत्र व शपथ पत्र के रिपोर्ट तहसीलदार चूरू के आधार पर दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि रोही ग्राम ढाढर तहसील व जिला चूरू खसरा नम्बर 604 तादादी 3.7813 हैक्टेयर

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

में दर्ज वादी का नाम भागूराम की बजाय भगवानाराम व वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 के पिता व प्रतिवादी संख्या 06 ता 10 के दादा का नाम गुडाराम की बजाय धन्नाराम किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 03 माह अगस्त सन् 2023 को जारी की गई।

(सक्षम गोयल आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2023.08.21 11:39:52 IST
Reason: SelfAttested